द्वितीय अपील प्रकरण कमांक ए/782/2014

श्री अरूण कुमार साण्डे, — **अपीलार्थी**
गजरा साईड, क्वा नं0
क्वा नं0 98/7,
पोस्ट व थाना बांकी मोंगरा,
जिला कोरबा (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री नकुल सिंह कर्पे, — **उत्तरवादी कं0 01**
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय नगर पालिका निगम कोरबा,
जिला कोरबा (छ0ग0)

श्री आलोक चंद्रवंशी,
प्रथम अपीलीय अधिकारी, — **उत्तरवादी कं0 02**
कार्यालय नगर पालिका निगम कोरबा,
जिला कोरबा (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 29/09/2014)

प्रकरण विडियों कांफ्रेंसिंग मे प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री अरूण कुमार साण्डे सूचना के बावजूद अनुपस्थित हैं। उन्हें सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। अतः सूचना के बावजूद अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। परंतु प्रकरण का निराकरण गुण—दोष के आधार पर किया जा रहा है। उत्तरवादी श्री पवन वर्मा, जनसूचना अधिकारी उपस्थित। उन्होंने बताया कि जानकारी प्रदान की गई है। उनके द्वारा प्रेषित जवाब प्राप्त।

यह द्वितीय अपील दिनांक 8.3.14, प्राप्त दिनांक 10.3.14 अपीलार्थी श्री अरूण कुमार साण्डे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उत्तरवादी कं0 01, जनसूचना अधिकारी, श्री नकुल सिंह कर्पे, जनसूचना अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका निगम, कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0) तथा उत्तरवादी कं0 02, श्री आलोक चंद्रवंशी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका निगम कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने उत्तरवादी कं 01 जनसूचना अधिकारी के समक्ष अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 5.12.2013 के माध्यम से निम्नानुसार सूचना/ जानकारी चाही थी :—

''नगर पालिक निगम कोरबा अंतर्गत बांकी मोंगरा जोन में चल रहे आर0सी0सी0, सी0सी0, एवं डब्लयू बी0एम0 रोंड निर्माण में कार्यरत ठेकेदारों के नाम, कार्यों की लागत राशि, रोड की मोटाई, चौडाई लंबाई की जानकारी, ले आउट की जानकारी तथा निरीक्षण करने वाले अधिकारी का पद एवं नाम, जांच के दौरान पाये गये तथ्यों की जानकारी''

सूचना/जानकारी प्राप्त न होने के कारण अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी क्र0 02 के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 6.1.14 प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय पारित न किये जाने के कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई। द्वितीय अपील आवेदन में अपीलार्थी ने वांछित सूचना/जानकारी दिलवाने की मांग की है।

उत्तरवादी के द्वारा प्रेषित जवाब में लेख है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 5.12.2013 के तारतम्य में अवलोकन करने हेतु दिनांक 1.1.14 को पत्र जारी किया गया। परंतु अपीलार्थी निर्धारित तिथि 3.1.14 को उपस्थित नहीं हुए। प्रथम अपील दिनांक 6.1.14 के पश्चात् दिनांक 25.3.14 को वांछित जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील के आवेदन में 6.1.14 की तिथि अंकित की है परंतु प्रथम अपील आदेश में आवेदन दिनांक 7.1.14 दर्शाया है एवं प्रथम अपील प्रकरण 1/14 में आदेश दिनांक 31.3.14 पारित किया गया है जिसमें यह पाया है कि पत्र दिनांक 25.3.14 द्वारा वांछित जानकारी अपीलार्थी को दी गई है एवं इस प्रकार प्रकरण निराकृत किया गया। जवाब के साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश तथा पत्र दिनांक 25.3.14 जिसके साथ सूचना/जानकारी भेजी गई है उसकी प्रतिलिपि भेजी गई जानकारी के साथ तथा डाक से भेजने की पोस्ट आफिस की रसीद दिनांक 27.3.14 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है। भेजी गई सूचना/जानकारी देखने से ज्ञात होता है कि लगभग 114 पेज की जानकारी भेजी गई है एवं निःशुल्क भेजी गई है। इतनी बड़ी जानकारी निकालकर उसकी प्रतिलिपि भेजने में समय लगना स्वाभाविक है। अतः यह पाते हुए कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्राप्त हो चुकी है और संभवतः इसलिए वे उपस्थित भी नहीं हुए हैं। यह द्वितीय अपील प्रकरण निराकृत किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त